

क्रमांक :- एफ 7/एस0टी०पी०/2015/२१९७ - ११

निमित्त :-

दिनांक :- ५ / ११ / २०१५

प्रणय इन्फोबिल्ड प्रा०लि० जर्ये निदेशक श्री नीरज सुवालका
प्लॉट नं० ३८१-३८२, प्रथम तल, आई.डी.बी.आई. बैंक के ऊपर
रावतभाट रोड, शॉपिंग सेन्टर, कोटा

विषय :- प्लॉट नं० B, खसरा नं० २३ (आंशिक) गाम कुच्छाई के मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके द्वारा भवन निर्माण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत मानचित्रों के परीक्षण उपरांत प्रस्तुत प्रस्ताव पर भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक १५-९-२०१५ में लिये गए निर्णय के क्रम में निम्न शर्तों के साथ भवन मानचित्र स्वीकृत किये जाते हैं :-

1. यह स्वीकृति राजस्थान भवन विनियम २०१३(संशोधित) तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अध्याधीन रहेगी तथा इसके प्रावधानों से सुसंगत होने की सीमा तक ही मान्य रहेगी।
2. राजस्थान भवन विनियम २०१३(संशोधित) तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों की अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण करने की रूप में नहीं लिया जा सकेगा। विनियम एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अनुसार निर्माण करने का दायित्व अनुज्ञाधारी का विनियम एवम् अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अनुसार कोई त्रुटि, भूल एवं लोप है, तो भवन निर्माण अनुज्ञाधारी का दायित्व रहेगा।

3. जिम्मेदारी भवन निर्माण अनुज्ञाधारी की रहेगी। स्वीकृति में किसी भी प्रकार की त्रुटि, भूल एवं लोप को विनियम के प्रावधानों में छूट रहेगा। भवन निर्माण स्वीकृति नगर नियोजन शाखा द्वारा प्रकरण का परीक्षण करने पर प्रस्तावानुसार हुई है तथापि यदि स्वीकृति में विनियम एवम् अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अनुसार कोई त्रुटि, भूल एवं लोप है, तो भवन निर्माण अनुज्ञाधारी का दायित्व रहेगा।
4. प्रस्तुत मानचित्र के अनुसार बेसमेन्ट + रिट्टल + १३ मंजिल की स्वीकृति चाही गई है। व्यास की नगर नियोजन शाखा द्वारा आपके प्रस्ताव के परीक्षण उपरांत प्रस्तुत प्रस्तावानुसार कार्यालय आदेश क्रमांक ४३१-४४२ दिनांक २७/०४/०६ व ७१०-७१७ दिनांक २१-०९-२०१० के अनुसार इस समय बेसमेन्ट + रिट्टल + प्रथम तल (अधिकतम ८.० मी. में से) की स्वीकृति भवन विनियम २०१३(संशोधित) एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों से सुसंगत होने की सीमा तक ही जारी की जा रही है। यह स्वीकृति भवन विनियम २०१३(संशोधित) एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों से सुसंगत होने की सीमा तक ही मान्य रहेगी।
5. २०,००० वर्गमीटर क्षेत्रफल से अधिक की स्वीकृति पर्यावरण विभाग की अनापत्ति उपरांत ही जारी की जावेगी।
6. प्रथम चरण का निर्माण पूर्ण होने पर जांच उपरांत निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार पाये जाने पर द्वितीय चरण में २.२५ एफ०ए०आर० तक एवं रिट्टल + ३० मी. ऊंचाई की स्वीकृति जारी की जावेगी एवं ३० मी. से अधिक ऊंचाई (रिट्टल+३८.९६ मी.) एवं २.२५ मी. से अधिक ३.०५२ एफ०ए०आर० तक की निर्माण स्वीकृति राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् जारी की जावेगी।
7. भवन विनियम २०१३ एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के विरुद्ध निर्माण किये जाने पर “राजस्थान नगर सुधार अधिनियम १९५९ की धारा ९। के अन्तर्गत अैवैष निर्माण को व्यास द्वारा ध्वस्त किया जा सकेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी तथा उक्त कार्यवाही पर किया गया समस्त व्यय आपको ही वहन करना होगा।
8. पार्किंग सम्बन्धी पर्याप्त व्यवरथा मानचित्र में बेसमेन्ट एवं रिट्टल तल पर दर्शाये अनुसार की जानी होगी तथा आप द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र अनुसार पार्किंग क्षेत्र को अन्य उपयोग में नहीं लिया जावेगा।
9. पार्किंग क्षेत्र में कोई निर्माण कार्य नहीं किया जावेगा, न ही इसका बेचान किया जावेगा। इसे पार्किंग हेतु खुला रखा जावेगा। अन्यथा व्यास आपके खर्चे पर बिना पूर्व सूचना पार्किंग क्षेत्र में किये गए निर्माण को ध्वस्त करने के लिये खतंत्र होगा।
10. भवन निर्माण के स्ट्रक्चरल डिजाइन की जिम्मेदारी आपके द्वारा नियुक्त वास्तुविद् की होगी। निम्न हस्ताक्षरकर्ता/व्यास किसी भी स्थिति में इसके लिये उत्तरदायी नहीं होगा। निर्माण कार्य अधिकृत वास्तुविद्/अभियन्ता की देख-ऐख में करवाया जाना होगा। निर्माण कार्य पूर्ण होने पर सम्बन्धित वास्तुविद् द्वारा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं दिये गए अण्डरटेकिंग के अनुसार भूकम्प से सुरक्षा हेतु अवश्यक व्यवस्था की जानी होगी।
11. बेसमेन्ट हेतु खुदाई सुरक्षित रूप से की जावेगी, जिससे की आस-पास के भवनों को क्षति होने की आशंका नहीं रहें, तथा आस-पास के लोगों को कोई व्यवधान नहीं हो।
12. यह स्वीकृति भवन निर्माण के लिये दी जा रही है। किसी भी व्यायालय अथवा वाद में इसे भूखण्ड स्वामित्व साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा।
13. निर्माण पश्चात् भवन को उपयोग में लेने से पूर्व नगर निगम से स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर व्यास से अधिवास प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।

14. मानचित्र में दर्शाये अनुसार भूमिगत जलस्तर बढ़ाने हेतु रेनवाटर हारवेसिटंग व्यवस्था (16 यूनिट) का निर्माण आवश्यक रूप से किया जाना होगा।
15. अनुज्ञा प्राप्ति के दो वर्ष के भीतर अथवा कार्य प्रारंभ करने के छः माह के अन्दर जो भी कम हो, अनुज्ञाधारी को भवन निर्माण कार्य प्रारंभ करने के आशय की सूचना व्यास को देनी होगी।
16. प्लिन्थ लेवल पर निर्माण के पश्चात् व्यास को सूचित करना होगा। व्यास के वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा नियुक्त उप/सहायक नगर विधिक अन्य सुसंगत प्रावधानों के अनुसार पाये जाने पर पत्र जारी करने के उपरान्त आगामी निर्माण भवन विनियम 2013 (संशोधित) एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों अनुसार किया जा सकेगा।
17. स्वीकृत मानचित्र में दर्शित इन्फोरमल कॉर्मर्शियल का निर्माण कर व्यास को सूचित करना होगा तथा इस बाबत् राज्य सरकार द्वारा 'जनसाधी रोजगार योजना' में निर्धारित नियम/शर्तों की पालना करनी होगी।
18. पर्यावरण की दृष्टि से मानचित्र में दर्शाये अनुसार पेड़ लगाने होंगे। भूखण्ड पर प्रत्येक 100 वर्गमीटर क्षेत्र के लिये कम से कम एक वृक्ष के अनुपात में 6 मीटर से अधिक उंचाई ग्रहण करने वाले वृक्ष लगाने होंगे एवं मानचित्र में दर्शाये अनुसार हरियाली क्षेत्र का आवश्यक रूप से विकास किया जाना होगा।
19. भवन की संरचना, डिजाईन नियमानुसार/विहित अनुसार भूकम्परोधी होना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में स्ट्रक्चरल इन्जिनियर से प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
20. समय-समय पर राज्य सरकार/व्यास द्वारा जारी नियमों/आदेशों की पालना करनी होगी।
21. राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.10(154)न.वि.वि./3/80 दिनांक 04-11-2008 की पालना की जानी होगी।
22. मानचित्र में दर्शाये गए अनुसार सौर ऊर्जा का प्रावधान किया जाना होगा।
23. आवेदक सोके पर विहित अनुसार सूचना प्रदर्शित करेगा एवं अभिलेख रखेगा तथा इस स्वीकृति पत्र की प्रति भी रखेगा।
24. सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के लिए प्रत्येक 30 फ्लेट्स/निवास इकाईयों अथवा उसके अंश पर 2 कचरापात्र का प्रावधान आवश्यक होगा, जिसमें एक पात्र 0.67 क्यूबिक मीटर का नॉन बायोडिग्रेडेबल तथा 1.33 क्यूबिक मीटर का दूसरा पात्र बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट हेतु होगा। इन्हें भूतल पर ऐसे रथान पर रखा जावेगा जहाँ से सफाई कर्मचारी द्वारा आसानी से उतारा जा सके।
25. वर्तमान में सेस द्वारा राशि अनुमानित तौर पर ली गई है। यह सेस अधिनियम एवं नियम तथा इस सम्बन्ध में जारी विधिक दिशा-निर्देशों के अनुसार होगी, जिस हेतु आवेदक को अन्तर राशि जमा करानी होगी। आवेदक को सेस अधिनियम एवं नियम तथा इस सम्बन्ध में जारी सुसंगत विधिक प्रावधानों एवं आदेशों के अनुसार समय-समय पर समुचित अधिकारी को सूचना भी प्रस्तुत करनी होगी।
26. उपरोक्त शर्तों की पालना करने तथा भवन में आवश्यक प्रावधान किये जाने पर एवं अधिवास प्रमाण-पत्र जारी होने पर ही अग्रिशमन धरोहर याशि, अन्य अमानत याशि की बैंक गारंटी लौटाई जावेगी।

(Signature)
सचिव

नगर विकास न्यास, कोटा
दिनांक :- 11/12/2015

क्रमांक :- एफ 7/एस0टी0पी0/2015
प्रतिलिपि निर्माणित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अतिमुख्य अभियान, नगर विकास न्यास, कोटा।
2. उप सचिव I/II/III, नगर विकास न्यास, कोटा
3. वरिष्ठ नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, कोटा
4. संयुक्त श्रम आयुक्त, कलेक्टर/परिसर, कोटा को सूचनार्थ।
5. मुख्य लेखाधिकारी, नगर विकास न्यास, कोटा
6. अधिकारी अभियन्ता I/II/III/IV को प्रेषित कर लेख है कि सम्बन्धित कनिष्ठ अभियंता को भी समय-समय पर जांच हेतु निर्देशित करे।
7. उप नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, कोटा
8. सहायक नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, कोटा
9. तहसीलदार/प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगर विकास न्यास, कोटा
10. वरिष्ठ विधि अधिकारी, नगर विकास न्यास, कोटा
11. ड्राइंग शाखा को रिकार्ड हेतु।

(Signature)
वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास, कोटा